रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937
No. 58] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/ PAUSA 18 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

का.आ. 64(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

कर्नाटक सरकार की अधिसूचना सं. एएफडी 58 एफडब्ल्यूएल 74, तारीख 17 जून, 1974 द्वारा अधिसूचित रानेबेनूर ब्लैकबक अभयारण्य कर्नाटक राज्य के कावेरी जिला के कावेरी और ब्यादगी ताल्लुकों के रानेबेन्नूर में अवस्थित है और उत्तरी अक्षांश 14^0 34' और 14^0 46' तथा पूर्वी देशांतर 75^0 30' और 75^0 47' के मध्य है तथा 119 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ है तथा क्षेत्र मुख्यत: झाड़ी वन और युकेलिप्टस पौधों से ढ़का है ।

और जहाँ, पेड़ पौधों के अंतर्गत अकेशिया, कटेचू, प्रोसोपिस, जूलीफोरा, डोडोनिया विस्कोसा, अकेशिया संड्रा, जिजिफस, मारिशिनिया, रेंडिया स्पेसिया और केसिया ओरिक्युलेटा, केसिया फिस्टुला, नीम (अजाडिरेक्टा इंडिका), होलोपटेलिया

इंटेग्रिफोलिया, मधुका इंडिका, फिकस स्पेसिया और बांस हैं, जिनको अभयारण्य की सड़कों के साथ रोपा गया है; अभयारण्य इसके ब्लैकबक और वुल्फ जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध हैं तथा अन्य स्तनधारियों के अंतर्गत जंगली सूअर लोमड़ी, सियार, लंगूर, साही, सामान्य नेवला, खरगोश और पेंगोलिन है ; अभयारण्य के ईरानीगुड्डा क्षेत्र में लकड़बग्घा भी पाए जाते हैं; अभयारण्य की स्थापना से ब्लैकबक की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई है और वर्ष 2005 तक अभयारण्य की छोटी घास वाले मैदानों, एक बड़ा धावी पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी देखा जाता था तथा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अतिरिक्त अभयारण्य में अविफोना के अंतर्गत पीफाउल, कोयल, ग्रे बेब्बलर, स्नाइक, ब्लैक ड्रोंगो, भूरा तीतर, सेंड ग्रोउज, बुश क्वैल और बहुत से अन्य हैं।

और, पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में रानेबेनुर ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में रानेबेनुर ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर से 1.47 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को रानेबेनुर ब्लैकबक अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार, रानेबेनूर ब्लैकबक अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से 1.47 किलोमीटर के विस्तार तक 112.74 वर्गकिलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ऐसे जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ अक्षांश और देशान्तर मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध हैं।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन और अभयारण्य पर मुख्य अवस्थितियां (जी पी एस बिन्दुओ सहित) **उपाबंध III क** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) शहरी विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिक ;
(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;
(viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
(ix) सिंचाई;
(x) लोक निर्माण विभाग,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 11, 17, 23, 28 और 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ बनाना;
(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;
(iv) वर्षा जल संचयन; और
(v) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुख सुविधाए सम्मिलत हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल-स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, कर्नाटक सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय वीर रानेबेनुर ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा –

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इर्काइयां**.-

(क) विधि के अनुसार स्थापित काष्ठ आधारित विद्यमान उद्योगों के सिवाय प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योगों को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए एवं विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय

		निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग अनुज्ञात विधि के अनुसार जारी रहेंगे।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(10)	प्लास्टिक और कैरी बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
(11)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी निवास स्थानों के। तथापि, एक किलोमीटर के परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुरुप किया जाएगा।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु यह कि स्थानीय निवासियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : परंतु प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर आगे और इसके विस्तार तक सदभावी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।

(13)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्ययोजना आदेशों का अनुसरण किया जाएगा।
(14)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(15)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	(i) भूमिगत केवल को बढ़ावा देना। (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर विद्युत पोलों का परिनिर्माण महा जोनल योजना के अधीन या मॉनिटरी समिति की सिफारिशों सहित किया जा सकता है।
(16)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
(18)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन।	वाणिज्यिक उद्देय के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(21)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिस्राव की रिसाइक्लिंग प्रोत्साहित की जाएगी और स्लम या ठोस अपशिष्टों के निपटान लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(23)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(24)	वन उत्पाद और गैर-काष्ठ वन उत्पाद का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	कृषि प्रणालियों में प्रबल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(27)	डेयरी, डेयरी उद्योग, और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
(28)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(29)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।

(31)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सौर रोशनी आदि को बढावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति .- केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) क्षेत्रीय आयुक्त, बेलागावी - अध्यक्ष ;

(ख) विधान सभा सदस्य, रानेबेनूर ; - सदस्य;

(ग) विधान सभा सदस्य, हवेरी – सदस्य;

(घ) विधान सभा सदस्य, बयादगी – सदस्य;

(ड.) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ; - सदस्य

(च) कर्नाटक सरकार के पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि ; - सदस्य

(छ) कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य;

(ज) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(झ) कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(ञ) उपायुक्त हावेरी - सदस्य;

(ट) सहायक वन संरक्षक, रानेबेनुर ब्लैकबक अभयारण्य, वन्यजीव उपमंडल, रानेबेन्नुर – सदस्य-सचिव।

*(कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ, सुसंगत अनुमोदन अभिप्राप्त करने के अध्यधीन, जिसके अंतर्गत विधान सभाध्यक्ष, कर्नाटक की अनुज्ञा, यदि कोई हो, है)

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/136/2015-ईएसजैड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

रानेबेनुर ब्लैकबक अभयारण्य की सीमाओं का विवरण

उत्तर: बारापत्ती वन खंड में खानपुर से न्यागांव- बदौरा तक सड़क के साथ साथ अभयारण्य की उत्तरी सीमा पर 1 किलोमीटर की चौड़ाई। निजी भूमि तीनों ओर से वन भूमि से घिरी है, और पुराने बारापत्ती गांव के निकट दाता साहिब स्थल पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में सम्मिलित किया जाएगा। सीमा पर अवस्थित बदौरा गांव पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में सम्मिलित किया जाएगा। बदौरा गांव से शेरगढ़ गांव, शेरगढ़ किले तक अभयारण्य सीमा के साथ 1 किलोमीटर चौड़ाई।

पूर्व: गैर वन भमि पूर्व की ओर सीमा पर और शेरगढ़ किले के मध्य 1 किलोमीटर तक पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में सम्मिलित किया जाएगा। नेहरिया वन खंड के पूर्व की ओर अवस्थित अजनावेरिया खाल के दूसरी तरफ 1 किलोमीटर चौड़ी गैर वन भूमि पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में सम्मिलित की जाएगी। राए ए वन खंड के निकट, गुंडाडलाई गांव से गुर्जर खेड़ी, मोखमापुरा गांव तक सीमा के साथ अवस्थित 1 किलोमीटर चौड़ी गैर वन भूमि।

दक्षिण: परवान नदी के साथ 100 मीटर चौड़ी पट्टी छोड़ते हुए बिलांडी वन खंड में 1 किलोमीटर चौड़ाई। नेहरिया वन खंड के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर अवस्थित सीमा से 100 मीटर चौड़ाई। वन खंड हथोला अकवाड खुर्द में 1 किलोमीटर चौडाई।

पश्चिम: वन खंड पिपलाग बारापाथी और झलवर जिला के भरतपुर गांव में ग्रासलैंड में सीमा के साथ 1 किलोमीटर चौड़ाई

उपाबंध-II

रानेबेनुर ब्लैकबक अभयारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

ब्लॉक -1 : हुल्लाट्टी-हुनसीकट्टी

मानचित्र आई डी	गांव के नाम	प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी का क्षेत्र	तालुका	जीपीएस निर्देशांक	विस्तार-क्षेत्र (हेक्टे में)
1	यत्तिनहल्ली	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14^0 43' 34" पू: 75^0 39' 52"	55.36
2	कुदरीहाल	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14^0 43' 46" पू: 75^0 41' 42"	628.30
3	हिलाधल्ली	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14^0 42' 24" पू: 75^0 43' 09"	328.31

4	अंकसापुर	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 41' 13" पू: 75⁰ 42' 25"	180.30
5	मेदलेरी	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 40' 02" पू: 75⁰ 43' 57"	655.80
6	मैदुरु	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 42' 37" पू: 75⁰ 39' 33"	396.74
7	बेविनहल्ली	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 41' 36" पू: 75⁰ 39' 23"	276.00
8	दोमबरहल्ली	संपूर्ण गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 40'27" पू: 75⁰ 40' 20"	174.43
9	गंगापुर	संपूर्ण गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 40' 44" पू: 75⁰ 39' 16"	240.51
10	कंकापुर	आंशिक गांव	हवेरी	उ: 14⁰ 45' 26" पू: 75⁰ 24' 21"	27.65
11	गुदादनवारी	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 40' 15" पू: 75⁰ 36' 50"	134.10
12	हुल्लात्ती	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 39' 25" पू: 75⁰ 38' 17"	435.43
13	कनागोनदालहल्ली	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 38' 39" पू: 75⁰ 39' 31"	290.42
14	रानेबेनुर	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 37' 14" पू: 75⁰ 37' 43"	479.42
15	हुनासिकट्टी	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 36' 26" पू: 75⁰ 47' 52"	523.90
16	रवातनकट्टी	संपूर्ण गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 37' 31" पू: 75⁰ 42' 11"	563.91
17	याकलासपुर	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 38' 00" पू: 75⁰ 44' 00"	592.35
18	माल्लापुर	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 38' 08" पू: 75⁰ 45' 28"	269.30
19	हिराबिदारी	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 38' 09" पू: 75⁰ 48' 25"	21.52
20	ऐरानी	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 36' 26" पू: 75⁰ 47' 52"	994.50
21	हुलीकट्टी	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 33' 20" पू: 75⁰ 46' 42"	33.10
22	खनदेरायानहल्ली	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 34' 15" पू: 75⁰ 46' 14"	184.58

23	करुर	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 33' 41" पू: 75⁰ 44' 22"	339.32
24	छालागेरी	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 34' 05" पू: 75⁰ 43' 12"	429.17
कुल क्षेत्र:					8254.42

ब्लॉक -2 : अलालागेरी हनुमापुरा

मानचित्र आई डी	गांव के नाम	प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी का क्षेत्र	तालुका	जीपीएस निर्देशांक	विस्तार-क्षेत्र (हेक्टे में)
1	अराबगोंद	आंशिक गांव	बयादगी	उ: 14⁰ 45' 01" पू: 75⁰ 29' 45"	309.29
2	केनगोंदा	आंशिक गांव	बयादगी	उ: 14⁰ 45' 52" पू: 75⁰ 30' 38"	341.65
3	कातेनहल्ली	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 46' 42" पू: 75⁰ 29' 52"	3.22
4	काल्लेदेवार	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 45' 52" पू: 75⁰ 32' 46"	770.05
5	भारदी	आंशिक गांव	हवेरी	उ: 14⁰ 46' 59" पू: 75⁰ 33' 55"	151.25
6	कुरुगुण्द	आंशिक गांव	हवेरी	उ: 14⁰ 47' 10" पू: 75⁰ 35' 33"	339.67
7	हुनमापुर	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 45' 12" पू: 75⁰ 36' 39"	442.63
8	बुदपानहल्ली	100 मीटर	बयादगी	उ: 14⁰ 42' 56" पू: 75⁰ 37' 32"	147.03
9	अलालगेरी	100 मीटर	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 43' 38" पू: 75⁰ 31' 07"	77.6
10	मोतेबान्नुर	100 मीटर	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 42' 54" पू: 75⁰ 28' 48"	31.00
11	छतरा	100 मीटर	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 41' 43" पू: 75⁰ 31' 40"	26.01
12	काकोल	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 40' 43" पू: 75⁰ 32' 50"	121.89
13	कजारी	100 मीटर	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 40' 15" पू: 75⁰ 34' 28"	5.99
14	येल्लापुर	आंशिक गांव	रानेबेनुर	उ: 14⁰ 44' 05" पू: 75⁰ 38' 12"	252.81
कुल क्षेत्र:					**3020.09**

उपाबंध-III

रानेबेनुर ब्लैकबक अभयारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का मानचित्र निर्देशांक के साथ

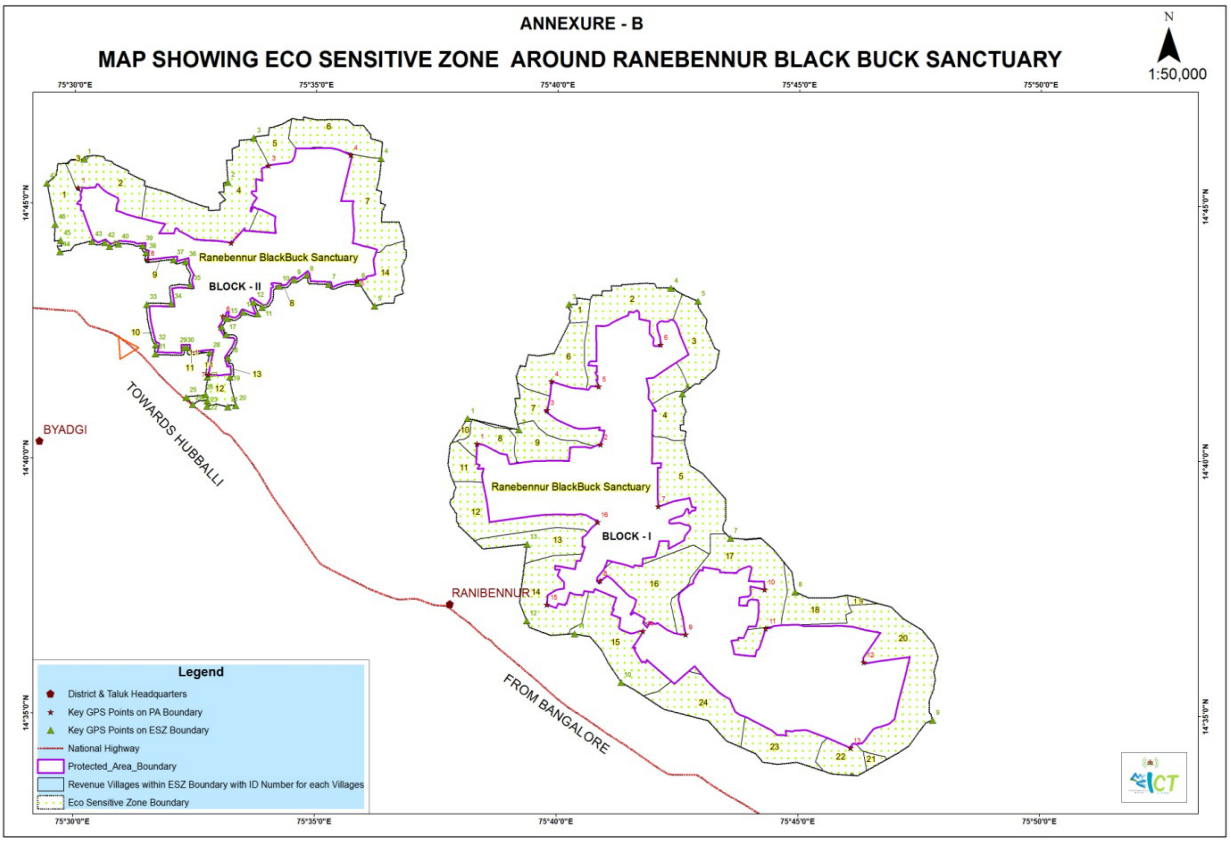

उपाबंध III क

रानेबेनुर ब्लैकबक अभयारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा की मुख्य अवस्थितियां (ग्लोबल पोसिशनिंग सिस्टम बिन्दु सहित)

ब्लॉक-1 : हुलततती-हुनसिकट्टी

मानचित्र आई डी	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशांतर (दशमलव डिग्री)
1	उ. 14.6801	पू. 75.6358
2	उ. 14.6764	पू. 75.6534
3	उ. 14.7174	पू. 75.6707
4	उ. 14.7229	पू. 75.7058
5	उ. 14.7191	पू. 75.7151
6	उ. 14.6883	पू. 75.7098
7	उ. 14.6412	पू. 75.7266
8	उ. 14.6236	पू. 75.7489
9	उ. 14.5819	पू. 75.7964

10	उ. 14.5940	पू. 75.6889
11	उ. 14.6098	पू. 75.6729
12	उ. 14.6140	पू. 75.6564
13	उ. 14.6390	पू. 75.6564

ब्लॉक-2: अलगेरी-हनुमपुरा

मानचित्र आई डी	**अक्षांश (दशमलव डिग्री)**	**देशांतर (दशमलव डिग्री)**
1	उ. 14.764431	पू. 75.503242
2	उ. 14.757054	पू. 75.552812
3	उ. 14.771544	पू. 75.561706
4	उ. 14.764886	पू. 75.605641
5	उ. 14.716663	पू. 75.603565
6	उ. 14.724099	पू. 75.597896
7	उ. 14.723723	पू. 75.587772
8	उ. 14.726738	पू. 75.580106
9	उ. 14.725186	पू. 75.575637
10	उ. 14.723122	पू. 75.570683
11	उ. 14.716121	पू. 75.564743
12	उ. 14.717866	पू. 75.561884
13	उ. 14.714084	पू. 75.563204
14	उ. 14.714561	पू. 75.558261
15	उ. 14.712524	पू. 75.552800
16	उ. 14.709701	पू. 75.550841
17	उ. 14.707240	पू. 75.552332
18	उ. 14.699601	पू. 75.552991
19	उ. 14.693362	पू. 75.553726
20	उ. 14.684022	पू. 75.555800
21	उ. 14.683615	पू. 75.553049
22	उ. 14.683836	पू. 75.545894
23	उ. 14.685500	पू. 75.545951
24	उ. 14.684373	पू. 75.540890
25	उ. 14.686654	पू. 75.538715
26	उ. 14.687571	पू. 75.545343
27	उ. 14.693356	पू. 75.545941
28	उ. 14.701375	पू. 75.546834

29	उ. 14.702930	पू. 75.538969
30	उ. 14.702950	पू. 75.537883
31	उ. 14.700803	पू. 75.528015
32	उ.14.703813	पू. 75.528064
33	उ. 14.716967	पू. 75.524995
34	उ. 14.717273	पू. 75.533443
35	उ. 14.723206	पू. 75.539963
36	उ. 14.731061	पू. 75.538423
37	उ. 14.731620	पू. 75.534158
38	उ. 14.733900	पू. 75.524621
39	उ. 14.736109	पू. 75.523438
40	उ. 14.736759	पू. 75.515152
41	उ. 14.735843	पू. 75.511998
42	उ. 14.737149	पू. 75.510399
43	उ. 14.737517	पू. 75.506016
44	उ. 14.734099	पू. 75.494907
45	उ. 14.737753	पू. 75.495154
46	उ. 14.743107	पू. 75.493296
47	उ. 14.756494	पू. 75.490325

रानेबेनूर ब्लैकबक अभयारण्य की सीमा पर मुख्य अवस्थितियां (ग्लोबल पोसिशनिंग सिस्टम बिन्दु सहित)

ब्लॉक-1: हुललतती- हुनसिकट्टी

मानचित्र आई डी	**अक्षांश (दशमलव डिग्री)**	**देशांतर (दशमलव डिग्री)**
1	उ. 14.6718	पू. 75.6391
2	उ. 14.6717	पू. 75.6817
3	उ. 14.6829	पू. 75.6633
4	उ. 14.6923	पू. 75.6647
5	उ. 14.6906	पू. 75.6810
6	उ. 14.7044	पू. 75.7023
7	उ. 14.6516	पू. 75.7016
8	उ. 14.6272	पू. 75.6816
9	उ. 14.6097	पू. 75.7112
10	उ. 14.6245	पू. 75.7384
11	उ. 14.6117	पू. 75.7388
12	उ. 14.6007	पू. 75.7727
13	उ. 14.5727	पू. 75.7681
14	उ. 14.6108	पू. 75.6965

15	उ. 14.6193	पू. 75.6634
16	उ. 14.6463	पू. 75.6807

ब्लॉक-2 : अलगेरी- हनुमापुरा

मानचित्र आई डी	**अक्षांश (दशमलव डिग्री)**	**देशांतर (दशमलव डिग्री)**
1	उ. 14.7550	पू. 75.5013
2	उ. 14.7370	पू. 75.5540
3	उ. 14.7625	पू. 75.5668
4	उ. 14.7661	पू. 75.5952
5	उ. 14.7249	पू. 75.5976
6	उ. 14.7131	पू. 75.5513
7	उ. 14.6942	पू. 75.5463
8	उ. 14.7315	पू. 75.5252

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

S.O. 64(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry

of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Ranebennur Blackbuck Sanctuary notified vide Government of Karnataka notification No. AFD 58 FWL 74, dated the 17th June, 1974 and situated in Ranebennur, Haveri and Byadgi Taluks of Haveri District of Karnataka State lies between the north latitude $14^0 34'$ and $14^0 46'$ and between the east longitude $75^0 30'$ and $75^0 47'$ and spread over an area of 119 Square kilometre and the area is covered mainly by scrub forest and Eucalyptus plantations.

AND WHEREAS, the vegetation consists of Acacia catechu, Prosopis juliflora, Dodonea viscosa, Acacia sundra, Zizyphus mauritiana, Randia specia and Cassia auriculata, Cassia fistula, Neem (Azadirachta indica), Holoptelia integrifolia, Madhuca indica, Ficus specia and Bamboo have been planted along the Sanctuary's roads; the sanctuary is known for its blackbuck and wolf populations and other mammals include Wild Pig, Fox, Jackal, Languor, Porcupine, Common mongoose, Hare, and Pangolin; hyenas are also found in the Iranigudda area of the sanctuary; the population of blackbuck has seen a constant increase since the establishment of the sanctuary and the Great Indian Bustard, a large cursorial bird, also used to be sighted in the short grass plains of the sanctuary till the year 2005 and apart from the Great Indian Bustard, avifauna in the sanctuary includes Peafowl, Cuckoo, Gray babbler, Shrike, Black drongo, Graypartridge, Sand grouse, Bush quail and many others.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Ranebennur Blackbuck Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 100 meters to 1.47 kilometres around the boundary of Ranebennur Blackbuck Sanctuary in the State of Karnataka as the Ranebennur Blackbuck Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 112.74 square kilometers with an extent varying from 100 meters to 1.47 kilometres around the boundary of Ranebennur Blackbuck Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure I**.

(2) The list of 39 villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure III.**

(4) Key locations (Global Positioning System points) on the Eco-sensitive Zone boundary as well as on the sanctuary are appended as **Annexure-III A** .

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Karnataka State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 17, 23, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores, civic amenities etc:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Karnataka.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Ranebennur Blackbuck Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected areas till the extent if the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Mater Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-**

(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil and noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
Regulated activities		
10.	Use of plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of

		tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone, construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(i) Promote underground cabling. (ii) Electric poles can be erected within the Eco-sensitive Zone as per the prescriptions under the Zonal Master Plan or with the recommendation of Monitoring Committee.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.

24.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light, etc. to be promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

a. Regional Commissioner, Belagaavi -Chairman;

b. Member of Legislative Assembly , Ranebennur -Member;

c. Member of Legislative Assembly , Haveri -Member;

d. Member of Legislative Assembly , Byadgi -Member;

e. Regional officer, Karnataka State Pollution Control Board - Member;

f. Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka -Member;

g. Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka -Member;

h. A representative of NGO working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year in each case -Member;

i. An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year in each case -Member;

j. Deputy Commissioner, Haveri - Member;

k. The Assistant Conservator of Forests, Ranebennur Blackbuck Sanctuary, Wildlife Sub-Division, Ranebennur – Member-Secretary

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required).

6. Terms of reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and the State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

ANNEXURE-I

BOUNDARY OF RANEBENNUR BLACKBUCK SANCTUARY

North: 1 kilometre width on northern boundary of the sanctuary along the road from Khanpur to Nayagaon- Badora in Barapati B forest block. The private land , surrounded by forest land on three sides, and Data Sahib place near old Barapati village will be included in the Eco-sensitive Zone. Badora village situated on the boundary will be included in the Eco-sensitive Zone. 1 kilometre width along the sanctuary boundary from Badora village to Shergarh village upto the Shergarh fort.

East: The non forest land between the boundary on the eastern side and Shergarh fort will be included in the ecosensitive zone upto 1 kilometre. 1 kilometre width of the non- forest land on the other side of Ajnavaria Khal situated on the eastern side of the Nahriya forest block will be included in the Eco-sensitive Zone . 1 kilomer width on non-forest land situated along boundary near Rae A forest block, Gundalai village to Gurjar khedi to Mokhampura village.

South: 1 kilometre width in the Bilandi forest block leaving 100 meter wide strip along river Parwan. 100 meter width from the boundary situated on the south West corner of Nahriya forest block. 1 kilometre width in the forest block Hathola Akwad khurd.

West: 1 kilometre width along the boundary in the forest block Piplag Barapathi and Grassland of Bharatpur village of Jhalawar district.

[F. No. 25/136/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF RANEBENNUR BLACKBUCK SANCTUARY

BLOCK -1 : Hullatti-Hunasikatti

Map ID	Name of Village	Eco-sensitive zone width	Taluk	GPS Co-ordinates	Extent in hectares
1	Yattinhalli	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 43' 34" E: 75^0 39' 52"	55.36
2	Kudrihal	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 43' 46" E: 75^0 41' 42"	628.30
3	Hiladhalli	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 42' 24" E: 75^0 43' 09"	328.31
4	Anksapur	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 41' 13" E: 75^0 42' 25"	180.30

5	Medleri	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 40' 02" E: 75^0 43' 57"	655.80
6	Maiduru	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 42' 37" E: 75^0 39' 33"	396.74
7	Bevinhalli	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 41' 36" E: 75^0 39' 23"	276.00
8	Dombarhalli	Entire village	Ranebennur	N: 14^0 40'27" E: 75^0 40' 20"	174.43
9	Gangapur	Entire village	Ranebennur	N: 14^0 40' 44" E: 75^0 39' 16"	240.51
10	Kankapur	Partial village	Haveri	N: 14^0 45' 26" E: 75^0 24' 21"	27.65
11	Gudadanveri	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 40' 15" E: 75^0 36' 50"	134.10
12	Hullatti	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 39' 25" E: 75^0 38' 17"	435.43
13	Kanagondanhalli	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 38' 39" E: 75^0 39' 31"	290.42
14	Ranebennur	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 37' 14" E: 75^0 37' 43"	479.42
15	Hunasikatti	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 36' 26" E: 75^0 47' 52"	523.90
16	Ravatankatti	Entire village	Ranebennur	N: 14^0 37' 31" E: 75^0 42' 11"	563.91
17	Yaklaspur	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 38' 00" E: 75^0 44' 00"	592.35
18	Mallapur	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 38' 08" E: 75^0 45' 28"	269.30
19	Hirebidari	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 38' 09" E: 75^0 48' 25"	21.52
20	Airani	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 36' 26" E: 75^0 47' 52"	994.50
21	Hulikatti	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 33' 20" E: 75^0 46' 42"	33.10
22	Khanderayanhalli	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 34' 15" E: 75^0 46' 14"	184.58
23	Karur	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 33' 41" E: 75^0 44' 22"	339.32
24	Chalageri	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 34' 05" E: 75^0 43' 12"	429.17
Total area:					**8254.42**

BLOCK -2 : Alalageri Hanumapura

Map ID	Name of village	Eco-sensitive zone width	Taluk	GPS Co-ordinates	Extent in hectares
1	Arabgond	Partial village	Byadgi	N: 14^0 45' 01" E: 75^0 29' 45"	309.29
2	Kengonda	Partial village	Byadgi	N: 14^0 45' 52" E: 75^0 30' 38"	341.65
3	Katenahalli	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 46' 42" E: 75^0 29' 52"	3.22
4	Kalledevar	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 45' 52" E: 75^0 32' 46"	770.05
5	Bhardi	Partial village	Haveri	N: 14^0 46' 59" E: 75^0 33' 55"	151.25
6	Kurugund	Partial village	Haveri	N: 14^0 47' 10" E: 75^0 35' 33"	339.67
7	Hanmapur	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 45' 12"	442.63

				E: 75^0 36’ 39”	
8	Budpanhalli	100 mtrs	Byadgi	N: 14^0 42’ 56” E: 75^0 37’ 32”	147.03
9	Alalgeri	100 mtrs	Ranebennur	N: 14^0 43’ 38” E: 75^0 31’ 07”	77.6
10	Motebennur	100 mtrs	Ranebennur	N: 14^0 42’ 54” E: 75^0 28’ 48”	31.00
11	Chatra	100 mtrs	Ranebennur	N: 14^0 41’ 43” E: 75^0 31’ 40”	26.01
12	Kakol	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 40’ 43” E: 75^0 32’ 50”	121.89
13	Kajari	100 mtrs	Ranebennur	N: 14^0 40’ 15” E: 75^0 34’ 28”	5.99
14	Yellapur	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 44’ 05” E: 75^0 38’ 12”	252.81
Total area:					**3020.09**

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RANEBENNUR BLACKBUCK SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES AND GPS COORDINATES

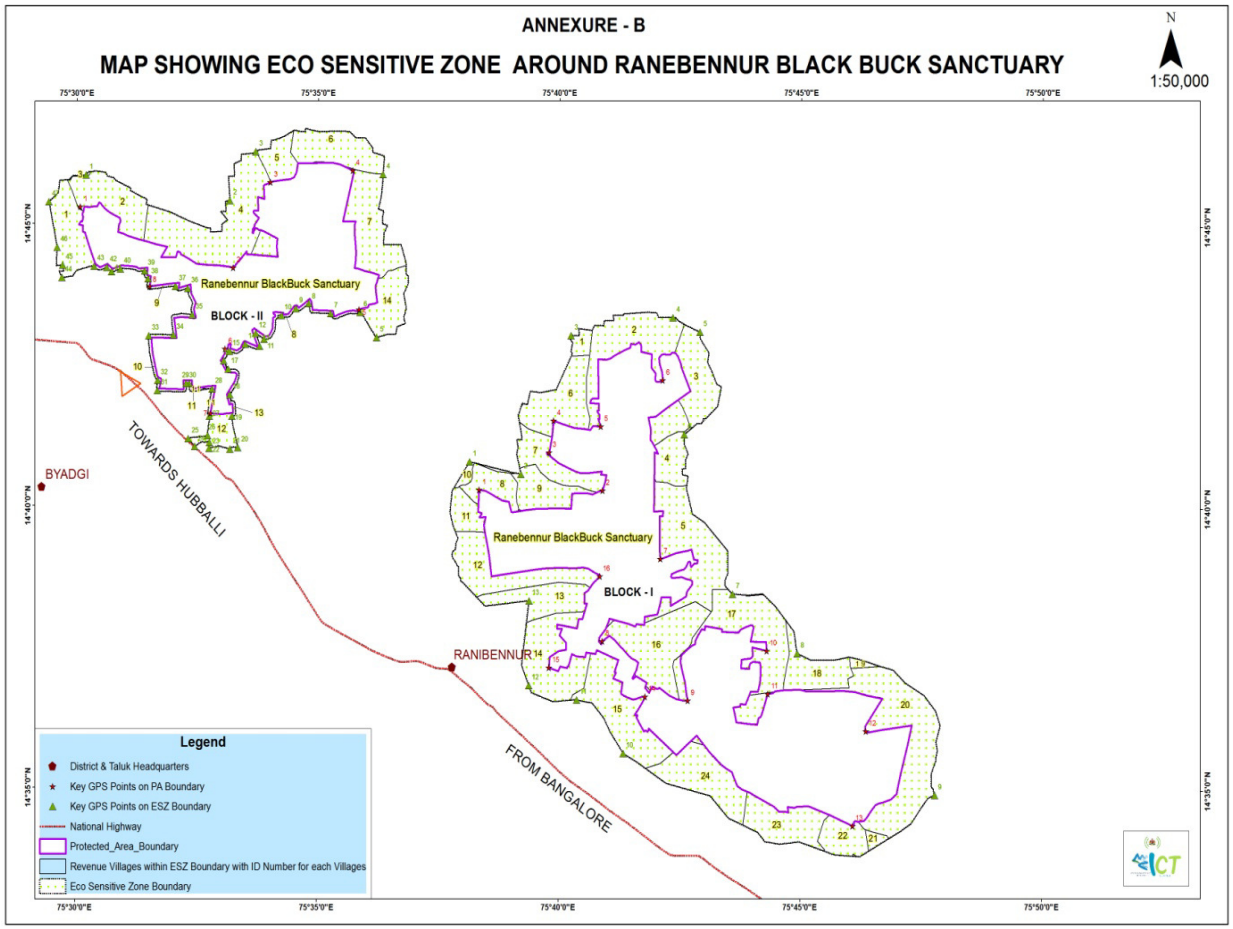

Annexure-III A

Key locations (Global Positioning System Points) on the Eco-Sensitive Zone boundary oF RANEBENNUR BLACKBUCK SANCTUARY

BLOCK -1 : Hullatti -Hunasikatti

Map id	Latitude (decimal degree)	Longitude (decimal degree)
1	N 14.6801	E 75.6358
2	N 14.6764	E 75.6534
3	N 14.7174	E 75.6707
4	N 14.7229	E 75.7058
5	N 14.7191	E 75.7151
6	N 14.6883	E 75.7098
7	N 14.6412	E 75.7266
8	N 14.6236	E 75.7489
9	N 14.5819	E 75.7964
10	N 14.5940	E 75.6889
11	N 14.6098	E 75.6729
12	N 14.6140	E 75.6564
13	N 14.6390	E 75.6564

BLOCK -2 : Alalageri-Hanumapura

Map ID	Latitude (decimal degree)	Longitude (decimal degree)
1	N 14.764431	E 75.503242
2	N 14.757054	E 75.552812
3	N 14.771544	E 75.561706
4	N 14.764886	E 75.605641
5	N 14.716663	E 75.603565
6	N 14.724099	E 75.597896
7	N 14.723723	E 75.587772
8	N 14.726738	E 75.580106
9	N 14.725186	E 75.575637
10	N 14.723122	E 75.570683
11	N 14.716121	E 75.564743
12	N 14.717866	E 75.561884
13	N 14.714084	E 75.563204
14	N 14.714561	E 75.558261
15	N 14.712524	E 75.552800
16	N 14.709701	E 75.550841
17	N 14.707240	E 75.552332
18	N 14.699601	E 75.552991
19	N 14.693362	E 75.553726
20	N 14.684022	E 75.555800
21	N 14.683615	E 75.553049
22	N 14.683836	E 75.545894
23	N 14.685500	E 75.545951
24	N 14.684373	E 75.540890
25	N 14.686654	E 75.538715
26	N 14.687571	E 75.545343
27	N 14.693356	E 75.545941
28	N 14.701375	E 75.546834
29	N 14.702930	E 75.538969
30	N 14.702950	E 75.537883
31	N 14.700803	E 75.528015

32	N14.703813	E 75.528064
33	N 14.716967	E 75.524995
34	N 14.717273	E 75.533443
35	N 14.723206	E 75.539963
36	N 14.731061	E 75.538423
37	N 14.731620	E 75.534158
38	N 14.733900	E 75.524621
39	N 14.736109	E 75.523438
40	N 14.736759	E 75.515152
41	N 14.735843	E 75.511998
42	N 14.737149	E 75.510399
43	N 14.737517	E 75.506016
44	N 14.734099	E 75.494907
45	N 14.737753	E 75.495154
46	N 14.743107	E 75.493296
47	N 14.756494	E 75.490325

Key locations (GPS Points) on the Ranebennur Blackbuck SANCTUARY boundary
BLOCK -1 : Hullatti- Hunasikatti

Map id	Latitude (decimal degree)	Longitude (decimal degree)
1	N 14.6718	E 75.6391
2	N 14.6717	E 75.6817
3	N 14.6829	E 75.6633
4	N 14.6923	E 75.6647
5	N 14.6906	E 75.6810
6	N 14.7044	E 75.7023
7	N 14.6516	E 75.7016
8	N 14.6272	E 75.6816
9	N 14.6097	E 75.7112
10	N 14.6245	E 75.7384
11	N 14.6117	E 75.7388
12	N 14.6007	E 75.7727
13	N 14.5727	E 75.7681
14	N 14.6108	E 75.6965
15	N 14.6193	E 75.6634
16	N 14.6463	E 75.6807

BLOCK -2 : Alalageri-Hanumapura

Map id	Latitude (decimal degree)	Longitude (decimal degree)
1	N 14.7550	E 75.5013
2	N 14.7370	E 75.5540
3	N 14.7625	E 75.5668
4	N 14.7661	E 75.5952
5	N 14.7249	E 75.5976
6	N 14.7131	E 75.5513
7	N 14.6942	E 75.5463
8	N 14.7315	E 75.5252

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.